हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 29 अगस्त, 2011

संख्या : वि0 स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–45/2011.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएं कर संशोधन विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 22) जो आज दिनांक 29 अगस्त, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2011 का विधेयक संख्यांक 22

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएँ कर संशोधन विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएँ कर अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक ।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. **संक्षिप्त नाम.–**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएँ कर संशोधन अधिनियम, 2011 है ।

2. **धारा 5–क का संशोधन.–**हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएँ कर अधिनियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 5–क की उप धारा (2) में, ''आवेदन'' शब्द के पश्चात् ''या तो मैनुअॅली या इलैक्ट्रानिकली'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

3. **धारा 6 का संशोधन.–**मूल अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) में, ''जमा करेगा'' शब्दों से पूर्व ''या तो मैनुअली या इलैक्ट्रॉनिकली'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 6–क का संशोधन.–मूल अधिनियम की धारा 6–क में, ''उपबन्ध कर सकेगी'' शब्दों से पूर्व ''या तो मैनुअॅली या इलैक्ट्रॉनिकली'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

5. धारा 6–घ का अन्तःस्थापन.–मूल अधिनियम की धारा 6–ग के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:––

''6–घ इलैक्ट्रॉनिक डाटा पद्धति आदि के माध्यम से अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए प्रक्रिया– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, प्रक्रिया से सम्बन्धित, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध और जारी किए गए निदेश यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(2) जहाँ कोई सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन किसी इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रक्रिया पद्धति द्वारा तैयार किया गया है और जिसकी तामील किसी व्यौहारी या व्यक्ति पर समुचित रूप से कर दी गई है तो उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन को किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यैक्तिक रूप से हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा और उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उसे ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा व्यैक्तिक रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है ।

(3) कोई भी व्यक्ति या व्यौहारी, जो इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन ऑन लाइन आवेदन करता है, तो उससे ऐसा आवेदन अपने अंकीय चिह्नंक के अधीन करना अपेक्षित होगा :

परन्तु जहाँ ऐसा आवेदन किसी अंकीय चिह्नंक को लगाए बिना दायर किया गया है तो उक्त व्यक्ति या व्यौहारी से, ऑन लाइन आवेदन करने के सात दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट से यथा मुद्रित ऐसे इलैक्ट्रॉनिकली किए गए आवेदन की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी, ऐसा न करने पर इस प्रकार किया गया आवेदन बिना किसी आगामी सूचना के नामंजूर कर दिया जाएगा।

(4) व्यौहारी जो अपेक्षित अनुसंलग्नकों सहित विवरणी(यों) को इलैक्ट्रॉनिकली दायर करता है, वह उसे (उन्हें) अपने अंकीय चिह्नंक लगाकर अधिप्रमाणित करेगाः

परन्तु जहाँ ऐसी विवरणी(यों) को किसी अंकीय चिन्ह को लगाए बिना दायर किया गया है तो उक्त व्यौहारी से, ऐसी विवरणी (यों) को दायर करने की अन्तिम तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट से सम्यक् रूप से मुद्रित ऐसे इलैक्ट्रॉनिकली दायर की गई विवरणी(यों) की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी । यदि ऐसा व्यौहारी ऐसा करने में असफल रहता है तो, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात, वह इस अधिनियम के अधीन देय और उसके द्वारा संदेय विलास–वस्तु कर की रकम के डेढ़ गुणा से अनधिक की राशि शास्ति के रूप में संदेय करने के लिए दायी होगा ।''।

6. धारा 8 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 8 में, ''उपआबकारी और कराधान आयुक्त को'' शब्दों के पश्चात् ''या तो मैनुअली या इलैक्ट्रॉनिकली'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

7. धारा 12 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 12 में, ''सूचना की तामील'' शब्दों के पश्चात् ''या तो मैनुअली या इलैक्ट्रॉनिकली'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश (होटल और आवास गृह) विलास–वस्तुएँ कर अधिनियम, 1979 के अधीन कर के संदाय के लिए दायी होटल और आवास गृह के स्वत्वधारियों को कर की ई–विवरणियों और ई–संदाय को दायर करने की प्रसुविधा उपलब्ध करवाने के आशय से पूर्वोक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। नए प्रस्तावित उपबन्धों के अन्तःस्थापन द्वारा ऐसे स्वत्वधारियों और कर संग्रहण करने वाले अभिकरणों के मध्य अन्तरानीक में भी कमी आएगी और इसके पश्चात् वे बैंकों और कार्यालय काऊँटरों पर लाईन में खड़े रहने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे । इस नई प्रसुविधा के, राज्य में स्वामी–सौहर्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाने में दूरगामी प्रभाव होंगे । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
तारीख....., 2011

———————

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर, राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना, विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जाएंगे ।

————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—— शून्य——

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 22 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON LUXURIES (IN HOTELS AND LODGING HOUSES) AMENDMENT BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979 (Act No. 15 of 1979).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Amendment Act, 2011.

2. Amendment of section 5-A.—In section 5-A of the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, (hereinafter referred to as the “

principal Act"), in sub-section (2), after the words "an application", the words "either manually or electronically" shall be inserted.

3. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "shall deposit", the words "either manually or electronically" shall be inserted.

4. Amendment of section 6-A.—In section 6–A of the principal Act, after the words "may make", the words "either manually or electronically" shall be inserted.

5. Insertion of new section 6-D.—After section 6-C of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely :—

"6-D. *Procedure to maintain records, through electronic data system etc*.- (1) For the purpose of effective implementation of the provisions of this Act, the provisions of the Information Technology Act, 2000 and the rules made and directions issued thereunder, relating to procedure shall apply *mutatis mutandis*.

(2) Where any notice, communication or intimation is prepared on any electronic data processing system and is properly served on any dealer or person, the said notice, communication or intimation shall not be required to be personally signed by any officer or person and the said notice, communication or intimation shall not be deemed to be invalid on the ground that it is not personally signed by such officer or person.

(3) Any person or dealer who makes an on-line application under any of the provisions of this Act, shall be required to make such application under his digital signature:

Provided that where such application is filed without affixing digital signature, the said person or dealer shall be required to submit to the appropriate authority, a duly signed hard copy of such electronically made application as printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh within seven days of making an on-line application, failing which the application so made shall be rejected without any further notice.

(4) The dealer who files return(s) alongwith the requisite enclosures electronically, shall authenticate the same by affixing his digital signatures :

Provided that where such return(s) is filed without affixing digital signature, the said dealer shall be required to submit to the appropriate authority, a duly signed hard copy of such electronically filed return(s) duly printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh within fifteen days of the last date for filing of such return(s). If such dealer fails to do so, he shall be liable to pay, by way of penalty, a sum not exceeding one and a half times of the amount of luxury tax due

and payable by him under this Act, after affording him a reasonable opportunity of being heard.

6. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, after the words "Deputy Excise and Taxation Commissioner", the words "either manually or electronically" shall be inserted.

7. Amendment of section 12.—In section 12 of the principal Act, after the words "may be served", the words "either manually or electronically" shall be inserted.

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to provide the facility of filing of e- returns and e-payment of tax to the proprietors of the Hotels and Lodging Houses liable to pay tax under the Himachal Pradesh Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1979, it has been decided to make suitable amendments in the Act *ibid*. With the insertion of new proposed provisions, the interface between such proprietors and tax collecting agencies will be reduced and henceforth they will not be forced to stand in queue at the Banks and office counters. The new facility will go a long way in providing owners friendly environment in the State. This has necessitated amendments in the Act *ibid.*

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA:
The……....., 2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery without incurring any additional expenditure from the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—